सत्यमेव जयते

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

दिल्ली विधान सभा

REPORT OF THE SELECT COMMITTEE ON 'THE DELHI PLASTIC BAGS (MANUFACTURE,SALE AND USAGE) AND NON-BIODEGRADABLE GARBAGE (CONTROL) BILL, 2000'

PRESENTED TO THE HOUSE ON ____________

दिल्ली प्लास्टिक बैग (विनिर्माण, बिक्री तथा प्रयोग)

तथा गैर-जैव अवक्रमित कूड़ा कर्कट (नियंत्रण)

विधेयक, 2000 पर गठित **प्रवर समिति**

का प्रतिवेदन

.......को सदन में प्रस्तुत

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT,
OLD SECRETARIAT, DELHI.

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-54

समिति का गठन

सभापति

1· डॉ· ﴾श्रीमती﴿ किरण वालिया

सदस्य

2· डॉ· ए·के· वालिया
﴾विधेयक के प्रभारी मंत्री﴿

3· श्री रमाकान्त गोस्वामी

4· श्री मोती लाल बोकोलिया

5· श्री राजेश जैन

6· श्री नन्द किशोर गर्ग

7· श्री साहब सिंह चौहान

सचिवालय

1·	श्री एस·के· शर्मा	सचिव
2·	श्री के·एल· कोहली	अवर सचिव
3·	श्री जी·सी· मेहता	अवर सचिव
4·	श्री उन्मेष पहाडे	समिति सहायक

प्रस्तावना

मैं, डॉ· किरण वालिया, सभापति, "दिल्ली प्लास्टिक ॥विनिर्माण, बिक्री एवं प्रयोग॥ तथा गैर-जैव अवक्रमित कूड़ा करकट ॥नियंत्रण॥ विधेयक,1999" पर विचार हेतु गठित प्रवर समिति, समिति द्वारा यह प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किये जाने पर उसकी ओर से यह प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूँ ।

समिति का गठन माननीय अध्यक्ष द्वारा 28 दिसम्बर,1999 को किया गया और 29 दिसम्बर,1999 को अधिसूचित की गई । समिति की कुल 11 बैठकें सम्पन्न हुईं ।

समिति की प्रथम बैठक 21 जनवरी,2000 को सम्पन्न हुई, जब समिति द्वारा अपनाये जाने वाले कार्यवाही के तरीके पर चर्चा की गई और अनुमोदन किया गया । समिति ने इस क्षेत्र से संबंधित विभिन्न भागों जैसे : विधायकों, दिल्ली नगर निगम की क्षेत्रीय समितियों के अध्यक्षों, प्लास्टिक विनिर्माण करने वाले समुदायों, पर्यावरणविदो और संस्थाओं एवं संगठनों से विचार तथा सुझाव आमंत्रित किये । प्राप्त अभिमतों के आधार पर कुछ व्यक्तियों, समुदायों तथा संगठनों को अपने विचार व्यक्त करने हेतु व्यक्तिगत रूप से समिति के समक्ष उपस्थित होने का अवसर भी प्रदान किया गया । दूसरे, कुछ विधायक जिन्होंने विधेयक में संशोधनों के प्रस्ताव रखे थे, पर्यावरणविद्ों और विशेषज्ञता प्राप्त संस्थाएं जैसे - श्रीराम औद्योगिक अनुसंधान संस्थान को आमंत्रित किया गया । इसके अतिरिक्त कुछ स्थानीय निकायों जैसे -दिल्ली नगर पालिका परिषद्, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली कन्टून्मैन्ट बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड, इत्यादि के प्रतिनिधि भी समय-समय पर समिति के समक्ष उपस्थित हुए ।

यह प्रतिवेदन समिति को इसके सम्प्रेषण के जवाब में प्रस्तुत या समिति के समक्ष दी गई गवाही के रूप में प्राप्त की गई या सदस्यों द्वारा उठायी गई प्रश्नावलियों और प्रश्नों के जवाब में दी गई सूचना और सामग्री पर आधारित है ।

समिति ने 13 जुलाई, 2000 को सम्पन्न अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार विमर्श किया और स्वीकार किया । समिति ने डॉ· ॥श्रीमती॥ किरण वालिया को, उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया ।

समिति ने माननीय अध्यक्ष महोदय का उनकी सतत् सलाह, समर्थन और मार्ग-दर्शन हेतु अपनी कृतज्ञता व्यक्त की ।

समिति विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों का इस प्रतिवेदन को तैयार करने में दी गई सहायता तथा इसे अंतिम रूप प्रदान करने में दिये गये बहुमूल्य योगदान की अत्यन्त प्रशंसा करती है ।

दिनांकः 13 जुलाई, 2000

Kiran Walia

(किरण वालिया)
सभापति
दिल्ली प्लास्टिक (विनिर्माण, बिक्री एवं प्रयोग) तथा गैर जैव अवक्रमित कूड़ा-करकट (नियंत्रण) विधेयक 1999 पर विचार हेतु गठित प्रवर समिति

प्रतिवेदन

दिल्ली प्लास्टिक §विनिर्माण, बिक्री एवं प्रयोग§ तथा गैर-जैव अवक्रमित कूड़ा-करकट §नियंत्रण§ विधेयक 22 दिसम्बर,1999 को सदन में प्रस्तुत किया गया। विचार-विमर्श के समय डॉ· ए·के· वालिया, विधेयक के प्रभारी मंत्री द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर, विधेयक 23·12·1999 को सदन की प्रवर समिति को भेजा गया । बाद में, माननीय अध्यक्ष महोदय ने निम्नलिखित सदस्यों को प्रवर समिति में मनोनीत किया जो 29·12·1999 को अधिसूचित की गईः-

1·	डॉ· §श्रीमती§ किरण वालिया	सभापति
2·	डॉ· ए·के· वालिया §विधेयक के प्रभारी मंत्री§	सदस्य
3·	श्री मोती लाल बोकोलिया	सदस्य
4·	श्री रमाकांत गोस्वामी	सदस्य
5·	श्री राजेश जैन	सदस्य
6·	श्री नन्द किशोर गर्ग	सदस्य
7·	श्री साहब सिंह चौहान	सदस्य

विधेयक के सभी पहलुओं की सूक्ष्मता और गहराई से जाँच करने की दृष्टि से समिति ने कुल 11 बैठकें की ।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

दिल्ली प्लास्टिक §विनिर्माण, बिक्री एवं प्रयोग§ तथा गैर-जैव अवक्रमित कूड़ा-करकट §नियंत्रण§ विधेयक,1999 मुख्यतः दो पहलुओं पर विचार करता है यथा - §i§ प्लास्टिक थैलियों के विनिर्माण और प्रयोग का नियमन और §ii§ गैर-जैव अवक्रमित कूड़ा-करकट का प्रबन्धन । विधेयक में अप्रयुक्त §शुद्ध§ और पुनःरावर्तित प्लास्टिक थैलियों के विनिर्माण हेतु क्रमशः 20 और 25 माइक्रोन की मोटाई प्रस्तावित करता है । प्रस्तावित विधेयक खाद्य वस्तुओं को स्टोर करने, ले जाने और पैक करने हेतु पुनःरावर्तित प्लास्टिक थैलियों के उपयोग को भी प्रतिबन्धित करता है । यह आगे भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार पुनःरावर्तित की गई थैलियों पर विचार करता है।

इसके अतिरिक्त विधेयक प्लास्टिक थैलियों के विनिर्माण हेतु प्राधिकार प्राप्त करने, अपील करने, जुर्माना करने, अवक्रमित तथा गैर-जैव अवक्रमित ﴾डिबायोडिग्रेडेबल﴿ कूड़ा-करकट के प्रबन्धन और इसी तरह लगातार अन्य अपराधों इत्यादि का प्रावधान करता है ।

उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण में विधेयक दर्शाता है कि "पुनःरावर्तित प्लास्टिक थैलियों के अंधाधुंध और विशेष रूप से खाद्य पदार्थों को लाने-ले जाने के लिए प्रयोग ने स्वास्थ्य को अत्यधिक संकट में डाला है । पुनःरावर्तित प्लास्टिक थैलियों के विनिर्माण में प्रयुक्त रंजक ﴾पिगमैंट﴿ उनमें लपेटकर/ले जाने वाले खाद्य पदार्थ पर जहरीला प्रभाव डालता है ।" क्योंकि ये पुनःरावर्तित प्लास्टिक थैलियाँ कूड़ा-करकट/अपशिष्ट प्लास्टिक सामग्री से निर्मित होती हैं जो प्रायः लुब्रीकेंटों को पैक करने, अस्पताल/जहरीले कूड़ा-करकट के निपटान के लिए प्रयोग की जाती हैं । पुनःरावर्तित रंगीन प्लास्टिक थैलियों में प्रायः पारा ﴾मरकरी﴿, सीसा ﴾लीड﴿, कैडियम, बेरियम और अन्य रासायनिक और धात्विक रंग शामिल होते हैं जो कि स्वभावतः जहरीले होते हैं । सीसा, कैडियम और कोलतार पर आधारित धात्विक रंजक जो मिट्टी और पानी में घुल जाते हैं, खाने को भी संदूषित करने हैं और आंत्रशोथ, गुदा सम्बन्धी तथा अन्य बीमारियों के लिए जिम्मेदार होते हैं ।

दिल्ली में पहले ही भयावह प्रदूषण है । प्रायः महीन प्लास्टिक से बनी प्लास्टिक थैलियाँ, यदि जलाई जाती हैं तो वायु प्रदूषण की समस्या को और बढ़ाती हैं और सांस ﴾श्वसन﴿ से संबंधित बीमारियों को बढ़ाती हैं। यथापुरःस्थापित विधेयक की महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार हैंः

1. खाद्य पदार्थ स्टोर करने, लाने-ले जाने या पैक करने के लिए पुनःराविर्तत प्लास्टिक थैलियों के विनिर्माण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबन्ध।

   प्रायः इस प्रावधान का यह गलत अर्थ लगाया जाता है कि जैसे कि

समिति के समक्ष अपने विचार व्यक्त करने हेतु निम्नलिखित स्थानीय निकायों, संगठनों के प्रतिनिधि/व्यक्ति उपस्थित हुएः-

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् के प्रतिनिधियों ने समिति को अवगत कराया कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् द्वारा यू॰एन॰डी॰पी॰ (प्रोटेक्ट अकॉर्ड) का कार्यक्रम गैर सरकारी संगठनों की सहायता से चलाया गया और दो प्रकार के कूड़ेदान -एक हरा जैव-अवक्रमित के लिए और दूसरा गैर-जैव अवक्रमित के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् के कुछ क्षेत्रों में प्रदान कराए गए । किन्तु ये लाभदायक सिद्ध नहीं हुए क्योंकि प्रयोगकर्ता कूड़ा-करकट को अलग-अलग नहीं करते और इसे केवल केवल एक ही कूड़ेदान में ही डालते रहे और दूसरा सामान्यतः खाली पाया गया । यद्यपि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् अधिनियम में इनमें अवांछित कूड़ा-करकट फेंकने पर 50/-रुपये से 200/-रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान था, उन्होंने प्लास्टिक के विषय में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया । स्लम क्षेत्रों और डी-II, डी॰डी॰ए॰ फ्लैट्स में अलग पात्र उपलब्ध करवाने के बावजूद योजना सफल नहीं हुई । वर्तमान कानून में कोई संशोधन करने हेतु, मामला गृह मंत्रालय (भारत सरकार) को भेजना पड़ेगा और आवश्यक संशोधनों को पूरा करने में कई वर्ष लगेंगे । प्रतिनिधियों का यह भी विचार था कि अधिनियम को भौगोलिक आधार पर लागू करना चाहिए और प्रथमतः परीक्षण क्षेत्रानुसार किया जाना चाहिए और यदि परीक्षण सफल होता है तो इसका कार्य क्षेत्र बढ़ाया जाना चाहिए। उनका दृढ़ विचार था कि जब तक प्रयोगकर्ता सही मनःस्थिति/मनोवृत्ति नहीं बनाते और प्लास्टिक थैलियों में खाद्य सामग्री ले जाने के नुकसानदेह प्रभावों के विषय में उनके दिमाग में जागरूकता उत्पन्न नहीं की जाती है, तब तक अधिनियम को लागू करना संभव नहीं होगा । प्लास्टिक थैलियों के प्रयोग के कारण वे नगर पालिका कूड़ेदानों, नालों और सीवर लाइनों को लेकर अत्यधिक समस्याओं को सामना कर रहे थे ।

दिल्ली कन्टूनमैन्ट बोर्ड

प्रतिनिधियों का विचार था कि मामले की दो दृष्टियों से जाँच करने की आवश्यकता है -प्रथमतः क्या प्लास्टिक थैलियों पर पूर्ण प्रतिबन्ध संभव है। और दूसरा, यदि नहीं, तो किस तरह से अधिनियम में परिवर्तन किया जाये ताकि इसका प्रभावपूर्ण

विधेयक प्लास्टिक/प्लास्टिक थैलियों के विनिर्माण पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाता है । इसलिए इस व्यवसाय से जुड़े हुए तर्क देते हैं कि प्रस्तावित अधिनियमन से प्लास्टिक थैली विनिर्माण से जुड़े हुए लोगों में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैल जाएगी । जब कि वास्तविकता यह है कि प्रस्तावित विधेयक प्राथमिक रूप से केवल खाद्य पदार्थ स्टोर करने, लाने-ले जाने और पैक करने हेतु पुनःरावर्तित प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबन्ध पर विचार करता है । इसलिए खाना ले जाने या स्टोर करने के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए शुद्ध प्लास्टिक थैलियों और पुनःरावर्तित प्लास्टिक थैलियों का विनिर्माण अप्रभावित रहता है।

2. नागरिकों को स्रोत पर ही पृथ्थकरण के मामले में जैव-अवक्रमित और गैर-जैव अवक्रमित कूड़ा करकट का प्रबन्धन करने वाले स्थानीय निकायों को कानूनी सहयोग प्राप्त होगा और यह दिल्ली में प्रदूषण के स्तर के संबंध में चिन्ता व्यक्त करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी के अनुरूप है ।

3. प्लास्टिक थैलियों के विनिर्माण हेतु प्राधिकार प्राप्त करने के लिए प्रावधान। विनिर्माता संगठनों का तर्क है कि विधेयक में ऐसे प्रावधान शामिल कर उन्हें अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ेगा । पर्यावरण विधि के के अनुसार पुनःरावर्तित प्लास्टिक थैलियों का निर्माण करने वाली इकाइयाँ वायु एवं जल को प्रदूषित करती है। इसलिए यह उपयुक्त ही है कि राजधानी शहर के नागरिकों के स्वास्थ्य के हित में वेसी इकाइयों को चलाने के लिए वे विधि के अधीन प्राधिकार प्राप्त करें ।

4. विधेयक में जुर्माना लगाने और अपील करने के प्रावधान शामिल हैं।

5. विधेयक में संक्षिप्त विचारण और अपराधों के संयोजन का प्रावधान है ।

समिति ने विचार-विमर्श के दौरान विधेयक की भावना से सहमत होते हुए प्रदूषण के क्षेत्र में विशेषज्ञों, स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों, विभिन्न प्लास्टिक/पुनःरावर्तित निर्माण करने वाले संगठनों के प्रतिनिधियों, दिल्ली नगर निगम के जोनल निकायों के चेयरमैनों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की विधान सभा के सदस्यों को उनके विचार जानने हेतु विचार जानने हेतु बुलाने का निर्णय किया ।

वैसे ही वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने वाले उद्योग जैसे कागज की थैलियाँ, जूट की थैलियों, जूट की थैलियों आदि का विनिर्माण करने वाले अन्य उद्योग पनपने लगेंगे । इसलिए उनका मत था कि हमें पुनःरावर्तित प्लास्टिक थैलियों के साथ-साथ शुद्ध प्लास्टिक थैलियों पर पूरी तरह रोक लगा देनी चाहिए। इसके साथ ही साथ संचार माध्यमों, इश्तिहारों और अन्य उपायों के जरिये लोगों को प्लास्टिक थैलियों का उपयोग बन्द करने हेतु शिक्षित करने के लिए कदम उठाने चाहिए । दिल्ली को इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए।

दिल्ली नगर निगम

निदेशक (सी॰एस॰सी॰) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया कि दिल्ली नगर निगम द्वारा लगभग 6000 टन कचरा उठाया जा रहा है जिसमें से केवल 4 प्रतिशत कचरा शुष्क या गैर-जैव अवक्रमित कूड़ा करकट होता है । उन्होंने समिति को यह भी बताया कि निम्न कोटि/कम मोटाई के प्लास्टिक कचरे से सूखा कचरा बनता है । मोटे किस्म का प्लास्टिक कचरा, कचरा बीनने वाले लोगों द्वारा उठा लिया जाता है । दिल्ली नगर निगम द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद दिल्ली में इस तरह प्लास्टिक कचरा बटोरने वाले लगभग एक लाख लोग इस काम में लगे हुए हैं । उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक तरह से कूड़ा करकट अलग करने में ऐसे कूड़ा बीनने वाले लोग मददगार ही साबित हुए हैं । फिर भी सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि कूड़े कचरे का निपटान असंतोषजनक है और उच्चतम न्यायालय द्वारा दिल्ली नगर निगम की पूरी तरह स्वच्छता बनाए रखने की जिम्मेदारी निर्धारित करने के आदेश दिए जाने के बावजूद निगम द्वारा इस आदेश का उचित रूप से पालन नहीं किया जा रहा है । यह पूछे जाने पर कि क्या प्लास्टिक थैलियाँ पानी के पाइपों और नालियों में पानी के बहाव में रुकावट के लिए जिम्मेदार हैं, निदेशक (सी॰एस॰सी॰) ने स्वीकारोक्ति में जवाब दिया । उन्होंने समिति को बताया कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम के अन्तर्गत अस्वच्छता या गन्दगी फैलाने

ढंग से लागू करना सुनिश्चित किया जाये । उनका आगे विचार था कि पुनःरावर्तित प्लास्टिक के रंग का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक प्रयोगकर्ता द्वारा इसकी पहचान की जा सके । प्रचार विधि द्वारा अत्यधिक जागरूकता उत्पन्न करने की आवश्यकता है ताकि साधारण आदमी प्लास्टिक थैलियों के खतरे से अच्छी तरह से जागरूक रहे । इस बिन्दु पर समिति ने प्लास्टिक थैलियों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से मना कर दिया और इस बात पर जोर दिया कि बिल का उद्देश्य धीरे-धीरे पुनःरावर्तित प्लास्टिक के प्रयोग को धीरे-धीरे बन्द करना है । प्रतिनिधि समिति के नोटिस में यह भी लाये कि गैर-जैव अवक्रमित कूड़ा-करकट के समाप्ति-बिन्दु की पहचान करना आवश्यक है ।

दिल्ली जल बोर्ड

विभागीय प्रतिनिधियों ने संक्षिप्त विवरण देते हुए समिति को अवगत कराया कि उन्होंने इस विधेयक को केवल उपयोगी सेवा, जो सीवर के बहाव और पानी की सुरक्षा से संबंध रखती है, के अध्यक्ष के रूप में ही नहीं देखा अपितु एक नागरिक की भांति भी देखा । उन्होंने महसूस किया कि जो कुछ किया जाना आवश्यक है, उसके अनुसार प्रस्तुत अधिनियम में कुछ कमी रह जाती है । हमारे समस्त प्रमुख नालों के साथ ही सीवरों में रूकावट का एक प्रमुख कारण प्लास्टिक थैलियाँ हैं । वास्तव में यह दिल्ली की छोटी कालोनियों में सफाई प्रबन्ध करने में रूकमावट का प्रमुख कारण है । यह कालोनी के सीवरों से बाहरी सीवरों में जाता है । सीवर प्रणाली के रख-रखाव में कमी के कारण सीवर लाइनों में गाद जमा हो जाती है । यह सर्वमान्य तथ्य है कि सीवर लाइनों के जरिए 90 प्रतिशत पानी और केवल 10 प्रतिशत जमी हुई कीचड़ की निकासी होती है ।

एक नागरिक और उपयोगी सेवा के वरिष्ठ अधिकारी, दोनों होने के नाते उनकी राय थी कि जब तक यह अधिनियम प्रभावकारी ढंग से लागू न किया जा सके, तब तक इसे पारित नहीं किया जाना चाहिए । इस संदर्भ में उन्होंने धम्रपान निषेध अधिनियम का उदाहरण दिया । उनका सुझाव था कि जब तक रोकथाम की कोई तरीका तैयार नहीं किया जाता तब तक अधिनियम लागू नहीं किया जा सकता। इसलिए न केवल पुनःरावर्तित प्लास्टिक थैलियों बल्कि अप्रयुक्त प्लास्टिक थैलियों पर भी रोक लगानी चाहिए । जैसे ही प्लास्टिक थैलियों पर रोक लगाई जाएगी,

श्री राजकुमार चौहान ने कहा कि विधेयक में दी गई खाद्य पदार्थ की परिभाषा अनुपयुक्त है और इस के स्थान पर 2 सितम्बर, 1999 के भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित खाद्य सामग्री की परिभाषा के अनुरूप रखा जाना चाहिए। सचिव §पर्यावरण§ ने समिति को अवगत कराया कि उक्त अधिसूचना में दी गई परिभाषा पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में थी । खाद्य पदार्थ की जो परिषा उन्होंने इसमें ली है, वह वही है जो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 जो कि केन्द्रीय अधिनियम है और अधिक प्रासंगिक है और विधेयक के लक्ष्यों के समरूप है, में है ।

यह विचार व्यक्त किया गया कि पुनःरावर्तित प्लास्टिक थेलियों में गर्म, ठंडा और खाने के लिए तैयार खाना ले जाना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है, इन तथ्यों के निर्धारण के लिए लैबोरेटरी रिपोर्ट मांगी जानी चाहिए । जब श्री राजकुमार चौहान ने जोर दिया कि उनके पास इस बारे में एक लैबोरेटरी रिपोर्ट है कि पुरःरावर्तित प्लास्टिक थैलियों में खाना लाना-ले जाना नुकसान नहीं करता है, सभापति ने व्यवस्था दी कि यदि उनके पास ऐसी रिपोर्ट है, वे उसे सचिव, विधान सभा को भेज सकते हैं । तब समिति ने श्री चौहान से अपने अन्य संशोधन रखने के लिए कहा । उन्होंने कहा कि धारा §3§ में पोलिएस्टर, पैट और थैलियों जैसी मदों को शामिल किया जाए क्योंकि वे सीवरों को अवरुद्ध करने का मुख्य कारण हैं और ये पुनःरावर्तित किए जाने योग्य नहीं होते । धारा 4§2§ में लाइसेंस के प्रावधानों के संदर्भ में श्री राजकुमार चौहान ने यह कहते हुए आपत्ति की कि उनके पास पहले से ही दिल्ली नगर निगम के लाइसेंस हैं और विनिर्माणकर्ताओं से पुनः डी·पी·सी·सी· से लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कहना प्राधिकरण की बहुलता और उनकी परेशानी का कारण बन जायेगा। सचिव §पर्यावरण§ ने स्पष्ट किया कि दिल्ली नगर निगम द्वारा लाइसेंस की स्वीकृति दिल्ली में प्रदूषण उत्पन्न करने वाला उद्योग चलाने के लिए प्रमाण-पत्र नहीं है । दिल्ली नगर निगम द्वारा प्रदूषण नियंत्रण समिति से पूर्व-अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना उद्योगपतियों को लाइसेंस जारी करने की उचित प्रक्रिया है । धारा 8§क§ के प्रावधानों पर विचार विमर्श करते हुए श्री राजकुमार चौहान ने समिति को अवगत कराया कि पुनःरावर्तित प्लास्टिक के विनिर्माण में किसी रंजक/रंग का प्रयोग नहीं किया जाता। तथापि इस प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले रंगाई तत्व आई·एस·आई·के अपने विनिर्देशन आई·एस· 9833 : 1981 में निर्धारित मानक के अनुरूप हैं और वे हानिकारक नहीं हैं ।

के लिए दोषी व्यक्तियों को दंडित कर रही है । समिति की राय थी कि दिल्ली नगर निगम द्वारा उठाए गए कदम अपर्याप्त हैं और उसने यह भी इच्छा व्यक्त की कि उचित जगहों पर और सुगम दूरियों पर और कूड़ेदान और ढलाव बनाने की जरूरत है ।

निदेशक (सी॰एस॰सी॰) ने बताया कि हालांकि बजट प्रावधान मौजूद हैं किन्तु उपयुक्त स्थान की कमी के कारण ऐसा करना फिलहाल संभव नहीं है । समिति की राय थी कि गैर-जैव अवक्रमित कचरे को एकत्रित करने के लिए अत्यधिक कूड़ेदानों या पात्रों को अलग से रखे जाने की आवश्यकता है । जब कुछ सदस्यों ने विचार व्यक्त किया कि पुनःरावर्तित प्लास्टिक थैलियों द्वारा पैदा की गई परेशानी की दृष्टि से उनके उपयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता है । सचिव (पर्यावरण) ने हस्तक्षेप किया और समिति को अवगत कराया कि यद्यपि सीवरों इत्यादि को अवरुद्ध करने के लिए प्लास्टिक जिम्मेदार है तथापि प्लास्टिक के विनिर्माण/पुनरावर्तन पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाना संभव नहीं है । इसलिए मोटाई में 25 से 30 माइक्रोन की वृद्धि प्रस्तावित की गई क्योंकि मोटा प्लास्टिक पुनःरावर्तित करने के लिए अच्छी आधार सामग्री है और कचना बीनने वालों द्वारा उठाये जाने योग्य है और इसलिए सीवरों, नालों इत्यादि के जमाव के जोखिम को कम करता है ।

समिति ने दिल्ली विधान सभा के उन सदस्यों को जिन्होंने संशोधन दिए थे, के विचार जानने का निर्णय भी किया:-

1· श्री राजकुमार चौहान

2·श्रीमती किरण चौधरी

3· श्री मुकेश शर्मा

4· डॉ·हर्षवर्द्धन

क्योंकि श्री मुकेश शर्मा और डॉ· हर्षवर्द्धन द्वारा दिए गए संशोधनों में केवल यह कहा गया था कि विधेयक प्रवर समिति को भेज दिया जाए, इसलिए समिति ने 2·3·200 को सम्पन्न अपनी बैठक में श्री राजकुमार चौहान और श्रीमती किरण चौधरी को सुनने का निर्णय लिया । उनके बयान से निम्नलिखित बातें सामने आईं:-

धारा -5 : निम्नलिखित रूप में एक नई उपधारा (ड·) को सम्मिलित किया जा सकता है:

"उपरोक्त के संदर्भ में यथेष्ट प्रावधान किये जायें ताकि पात्रों, डिपो, कूड़ेदान स्थलों तक आवारा पशुओं की आसानी से पहुँच न हो सके।"

अन्यथा वे विधेयक के पक्ष में थे ।

पुनःरावर्तित प्लास्टिक का विनिर्माण करने वाले संगठन

समिति ने 7·3·2000 को सम्पन्न अपनी बैठक में पुनःरावर्तित प्लास्टिक का विनिर्माण करने वाले संगठनों को अपने विचार व्यक्त करने हेतु आमंत्रित किया । संगठन के प्रतिनिधियों ने निम्नलिखित विचार व्यक्त कियेः

1· भारत सरकार की अधिसूचना, दिनांक 2 सितम्बर,1999 (जिसमें अन्य बातों के अलावा "खाद्य सामग्री" की परिभाषा सम्मिलित है,जो कि दिये गये विधेयक की परिभाषा से भिन्न है) को समग्र रूप से लागू किया जाये।

2· केवल उन्हीं खाद्य पदार्थों को पुनःरावर्तित प्लास्टिक की थैलियों में लाने-ले जाने, पैक करने और भण्डारण करने पर रोक लगायी जाये जिनका उपर्युक्त अधिसूचना में उल्लेख है ।

3· खाद्य पदार्थों हेतु पुनःरावर्तित प्लास्टिक थैलियों के प्रयोग का दायित्व दुकानदारों या प्रयोगकर्ता पर होना चाहिए न कि विनिर्माताओं पर ।

4· पुनःरावर्तित प्लास्टिक के विनिर्माण, बिक्री इत्यादि हेतु डी·पी·सी·सी· से अधिकार पत्र या प्रमाण पत्र प्राप्त करना विनिर्माताओं के लिए बाध्यकारी नहीं बनाया जाना चाहिए।

5· विधेयक में कचरा बीनने वालों के पुनर्वास के प्रावधान पर विचार करना चाहिए ।

6· स्थानीय निकायों को भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 2 सितम्बर,1999 के अनुसार खाद्य पदार्थों को पुनःरावर्तित प्लास्टिक में ले जाने,भण्डारण करने और पैक करने के लिए प्रयोग के संदर्भ में उचित विज्ञापन अभियान अभियान चलाया जाना चाहिए ।

सदस्य सचिव ॥डी॰पी॰सी॰सी॰॥ ने यह कहते हुए विरोध किया कि यह स्थापित सत्य है कि यदि कोई भी खाने की तैयार वस्तु पुनःरावर्तित प्लास्टिक में लाई जाती है तो वह नुकसान का कारण बनती है । श्री राजकुमार चौहान ने उत्तेजित होते हुए अधिकारियों पर सरकार को भ्रम में डालने, गुमराह करने का दोषारोपण किया और अचानक बिना औपचारिक अनुमति प्रापत किए बैठक से उठकर चले गये। समिति ने सदस्य द्वारा की गई निन्दात्मक टिप्पणियों को अनुचित मानते हुए उसका अननुमोदन किया और सदस्य के आचार एवं व्यवहार को अभिलिखित किया ।

श्रीमती किरण चौधरी समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुई किन्तु उन्होंने एक संदेश के जरिए सूचना दी कि क्योंकि वह अपने से अन्य कार्यों में व्यस्त हैं, इसलिए समिति उनके संशोधनों पर विचार करे और यदि उपयुक्त समझे तो उन्हें समाविष्ट करे । सचिव ॥पर्यावरण॥ ने समिति को अवगत कराया कि उनके अधिकतर संशोधन गौण और तकनीकी प्रकृति के थे और जब विधेयक खण्डवार विचार के लिए लिया जाये, तब उन पर विचार किया जा सकेगा ।

तत्पश्चात् समिति ने आवारा पशुओं पर प्लास्टिक के प्रभावों पर विचार विमर्श करने का निर्णय लिया और इस संदर्भ में निदेशक ॥पशुपालन विभाग॥ के विचार सुनने का फैसला किया ।

निदेशक, पशुपालन विभाग ने स्पष्ट किया कि पशुओं द्वारा प्लास्टिक खाने या उसका अन्तर्ग्रहण करने से उन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है । यह गौ सदनों के कुछ आवारा पशुओं के शव परीक्षण से सिद्ध भी हो चुका है । यह पाया गया कि गैर-जैव अवक्रमित पदार्थ पशुओं के पेट में एक प्रकार की गेंद बनाते हैं और पाचक क्षेत्र को अवरुद्ध कर देते हैं तो इस प्रकार तिपमैनी ॥पेट फूलना॥ नामक बीमारी में वृद्धि करता है और वायु निष्कासन में अवरोध उत्पन्न करता है और जो मृत्यु का कारण बन जाता है । उन्होंने सुझाव दिया कि प्रस्तावित विधान में निम्नलिखित संशोधनों का समावेश किया जा सकता है :-

अध्याय -।।।

धारा -4 : निम्नलिखित रूप में एक नई उप धारा ॥4॥ का समावेश किया जा सकता है ।

"आवारा पशुओं द्वारा अन्तर्ग्रहण करने से गंभीर स्वास्थ्य संकट की ओर ले जाने की संभावना होती है ।"

समिति ने उसी बैठक में प्रदूषण क्षेत्र के विशेषज्ञों और प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों को भी आमंत्रित किया था । निम्नलिखित ने समिति के समक्ष अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए ।

श्री राम औद्योगिक अनुसंधान संस्थान

डा॰ वी॰पी॰ मल्होत्रा, उप निदेशक ने संस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए विधेयक पर अपने विचार व्यक्त किए । उन के द्वारा प्रस्तावित कुछ सुझाव/संशोधन निम्न प्रकार हैं:

1· जैव-अवक्रमित कूड़े कचरे को इस प्रकार परिभाषित करना चाहिए जिसका तात्पर्य हो "ऐसा कूड़ा-कचरा या अपशिष्ट पदार्थ जो जैव क्रियाओं-प्रकाश ताप, विकिरण, उपचयन या इन सभी तत्वों की क्रिया के द्वारा नष्ट किए जाने लायक हो ।"

2· गैर जैव अवक्रमित कूड़े-कचरे को इस तरह परिभाषित करना चाहिए जिसका तात्पर्य हो "अपशिष्ट कूड़ा या पदार्थ जो जैव-अवक्रमित कचरा न हो और जिसमें प्लास्टिक सामग्री जैसे पॉलीथीन,नायलोन,पी·वी·सी·,पॉलीप्रापलीन,पालिस्ट्रीन आदि शामिल हों जिन्हें आसानी से जैव क्रियाओं, प्रकाश, ताप, नमी, विकिरण और उपचयन या इन सभी तत्वों और इस अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट तत्वों द्वारा नष्ट न किया जा सके।

3· पुनःरावर्तित प्लास्टिक थैलियों के विनिर्माण, बिक्री इत्यादि पर प्रतिबन्ध से संबंधित विधेयक विधेयक की धारा 3(1) में निम्नलिखित शब्दों में पुनर्लिखित किया जाना चाहिए ।

1· किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार के पुनःरावर्तित गैर जैव अवक्रमित प्लास्टिक थैलियों या पात्रों का, जो अकार्बनिक या कार्बनिक रंगों, प्लास्टिक साइजरों, लुब्रीकेंटों और स्टेबलाइजरों इत्यादि का मिश्रण हो या बगैर मिश्रण के हो, जो राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली के अन्दर किसी खाद्य सामग्री के भण्डारण, वहन या पैक करने के दौरान खाने को जहरीला बनाने का कारण बनने में उत्तरदायी है, बिक्री या प्रयोग हेतु विनिर्माण नहीं किया जायगा और पुनःरावर्तित प्लास्टिक से बनाई गई थैलियों

§2§ उपधारा 1§1§ में उल्लिखित पुनःरावर्तित प्लास्टिक थैलियों के विनिर्माण, बिक्री के लिए स्वीकृत या प्राप्त कोई भी लाइसेंस इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से पूर्व किसी भी विधि के अधीन लाइसेंस धारक या उसकी तरफ से किसी व्यक्ति को ऐसा व्यवसाय प्रारम्भ करने का अधिकार नहीं होगा ।

4. संस्थान ने सुझाव दिया कि विधेयक की धारा 4 को निम्नानुसार शब्दों मे व्यक्त किया जाना चाहिए:

§1§ सार्वजनिक स्थानों, नालियों, सीवरों इत्यादि में कूड़ा फेंकने पर प्रतिबन्ध-

"कोई भी व्यक्ति स्वयं या अन्य व्यक्ति के द्वारा किसी सार्वजनिक स्थान, नाली निकाल संचालन, निजी या सार्वजनिक नालियों से जुडी फिटिंग या पाइप में कोई गैर-जैव अवक्रमित कचरा या किसी जैव अवक्रमित कचरे को किसी गैर जैव अवक्रमित थैली में जो नाली या सीवर व्यवस्था की समुचित कार्य प्रणाली को रुद्ध कर सकती है, जान-बूझकर या अनजाने में न तो स्वयं फेंकेगा न फिंकवायेगा ।

डॉ॰ इकबाल मलिक, पर्यावरणविद के विचार

एक गैर सरकारी संस्था "वातावरण" की निदेशक सुश्री इकबाल मलिक के विचार में विधेयक बहुत ही कमजोर और अपूर्ण है । उन्होंने कहा कि विधेयक पर्यावरण के अनुकूल न होकर व्यापारियों के अनुकूल है । उन्होंने आगे यह कहा कि यदि सरकार पॉलीथीन थैलियों के संकट के प्रबन्धन में गंभीर हो तो उसे पॉलीथीन थैलियों पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाना चाहिए अन्यथा हरीतिमा नष्ट होती रहेगी और सीवर जाम होते रहेंगे और पॉलीथीन थैलियों के भारी मात्रा में जमा होने से पशुओं की मृत्यु होती रहेगी ।

समिति का विचार-विमर्श

समिति के सदस्यों ने व्यक्तिगत और सामुहिक रूप से विधेयक के विभिन्न प्रावधानों तथा इसके संभावित प्रभावों और आशयों पर विचार विमर्श में अत्यधिक रुचि प्रदर्शित की। उन्होंने स्थानीय निकायों के अधिकारियों के साथ-साथ व्यक्तियों और संस्थाओं जो समिति के समक्ष अपने विचार व्यक्त करने को उपस्थिति हुए,को अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए कहा और उनका स्पष्टीकरण मांगा । जब कि

जब कि पुनःरावर्तित प्लास्टिक थैलियों का खाद्य पदार्थ के वहन, लाने-ले जाने और भण्डारण करने पर प्रतिबन्ध नगाने से संबंधित विधेयक की भावना से सभी सहमत थे, तथापि सदस्यों ने अपने विचारों को मुखर रूप से व्यक्त करते हुए एक वस्तुगत राय व्यक्त की कि किस तरह विधेयक के उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है ।

विभिन्न विचारों को सुनने के बाद समिति ने इच्छा व्यक्त की कि विधान सभा सचिवालय को सभी विचारों और संशोधनों को साथ-साथ प्रतिबिंबित करना चाहिए ताकि समिति विचार विमर्श को सरलता और सुगमता से प्रस्तुत कर सके ।

समिति के निर्णय को प्रत्येक प्रस्तावित संशोधन के समक्ष दर्शाया गया है।

प्रतिवेदन का पारण

दिनाँक 13 जुलाई, 2000 को सम्पन्न बैठक में जब विधेयक और प्रवर समिति का प्रतिवेदन पारण हेतु लिया जा रहा था तो दो सदस्यों यानी श्री नंद किशोर गर्ग और श्री साहब सिंह चौहान खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1957 में दी गई "खाद्य" की परिभाषा, जो कि स्वीकार की जा रही थी, को समाविष्ट करने पर सहमत नहीं हुए । उन्होंने भारत सरकार की अधिसूचना दिनाँक 2 सितम्बर, 1999 में दी गई "खाद्य पदार्थ" की परिभाषा के समावेशन का आग्रह किया ।

समिति का मत था कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में दी गई "खाद्य" की परिभाषा व्यापक अर्थ के कारण अधिक उचित है और इसलिए उसी को रखने का निर्णय लिया। दोनों सदस्यों ने सहमत न होने के कारण अपनी असहमति दर्ज की जो कि प्रतिवेदन के परिशिष्ट-I में दी गई है ।

क्रमांक	धारा	प्रस्तावित संशोधन/प्रस्तावक	समिति का निर्णय
1.	धारा 1(1)	विधेयक के संक्षिप्त शीर्षक में प्लास्टिक शब्द के बाद "थैलियाँ" शब्द अन्तविष्ट किया जाये ।	समिति प्रस्तावित संशोधन से सहमत हुई ।
2.	धारा 2(क)	"जैव अवक्रमित कूड़ा" की परिभाषा को निम्नानुसार होना चाहिए । जैव अवक्रमित कूड़ा से तात्पर्य है कूड़ा या अपशिष्ट सामग्री जो जैविक क्रिया -ताप, प्रकाश, विकिरण, उपचयन या इन सभी तत्वों के प्रभाव से नष्ट किए जाने योग्य है । (श्री राम संस्थान)	चूंकि संशोधन अधिक बोधगम्य महसूस किया गया इसलिए समिति इससे सहमत हुई ।
3.	धारा 2(ग)	"खाद्य सामग्री से तात्पर्य है खाने के लिए तैयार खाद्य और खाद्य उत्पाद, फास्ट फूड प्रोसेस्ड और द्रव्य, पाउडर, ठोस या अर्द्ध ठोस अवस्था में पकाया हुआ खाना । (श्री राजकुमार चौहान - भारत सरकार की दिनाँक 2.9.1999 की अधिसूचना के अनुसार)	समिति संशोधन से सहमत नहीं हुई क्योंकि इसे स्वीकार करने से हर प्रकार की मद जिसे प्रतिबंधित किया जा सके, की पहचान करना संभव नहीं होगा । समिति पी.एफ.ए. अधिनियम, 1954 (अधिनियम 37/54 के अनुरूप खाद्य पदार्थ की निश्चित परिभाषा धारा 2(ग) में पुनः प्रस्तुत करने और स्वीकृत करने हेतु सहमत हुई ।

1.	2.	3.	4.
4.	धारा 2§घ§	सरकार का तात्पर्य है राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली की सरकार । §श्रीमती किरण चौधरी §	समिति संशोधन से सहमत नहीं थी क्योंकि विधेयक में दी गई परिभाषा वही है जो विधि विभाग द्वारा अनुमोदित की गयी है ।
5.	धारा 2§ज§	"बाजार" की परिभाषा की अन्तिम पंक्ति में "व्यक्ति" शब्द को "व्यक्तियों" शब्द से स्थानापन्न किया जाये । श्रीमती किरण चौधरी §	टाइपोग्राफिकल गलती होने के कारण संशोधन स्वीकृत किया गया ।
6	धारा 2§झ§	"गैर जैव अवक्रमित कूड़ा से तात्पर्य है "अपशिष्ट कूड़ा या सामग्री जो जैव अवक्रमित कूड़ा नहीं है और जिसमें प्लास्टिक सामग्री जैसे पॉलीथीन, नायलान, पी·वी·सी· पॉली प्रापलीन आदि शामिल है, जो आसानी से जैविक क्रियाओं-प्रकाश, ताप, नमी, विकिरण, उपचयन या इन सभी तत्वों के प्रभाव से नष्ट नहीं की जा सकती हैं और जो अधिनियम की सूची में विशेषकर शामिल की गयी हैं ।	समिति संशोधन से सहमत हुई क्योंकि इससे अचछा एवं वयापक अर्थ प्रकट होता है । समिति श्री ननद किशोर गर्ग के सुझाव पर "पैट" शब्द को "पोली प्रापलीन" शब्द के बाद जोड़ने पर सहमत हुई ।
7.	धारा §1§§।।§	"झुग्गी" शब्द को अस्थायी ढांचे" शब्द से स्थानापन्न किया जाना चाहिए । §श्रीमती किरण चौधरी§	समिति का विचार था कि "झुग्गी" शब्द बना रहना चाहिए किन्त "अस्थायी" ढांचे शब्द को भी जोड़ दिया जाये ।
8.	धारा 2§ड§	"निजी" शब्द हटाया जाये । §श्री राज कुमार चौहान§	समिति संशोधन से सहमत हुई ।

1.	2.	3.	4.
9.	धारा §3§1§	कोई भी व्यक्ति स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा स्वयं या अपनी ओर से किसी पुनःरावर्तित गैर जैव अवक्रमित प्लास्टिक थैलियों, पात्रों जो कार्बनिक/ अकार्बनिक रंगों प्लास्टिक साइजरों, लुब्रीकेंटों और स्टेबलाइजरों इत्यादि से युक्त हों, जो रा.रा.रा.क्षेत्र दिल्ली के भीतर किसी प्रकार की खाद्य वस्तु के भंडारण या लाने ले जाने या पैक करने के दौरान खाने को जहरीला बनाने में उत्तरदायी हों, उनकी बिक्री या प्रयोग हेतु विनिर्माण नहीं किया जायेगा और पुनःचक्रित प्लास्टिक से बनायी गयी थैलियों, फिल्मों या पात्रों का खाने के उत्पादों की पैकिंग हेतु उपयोग नहीं किया जाएगा । §श्री राम संस्थान §	समिति संशोधन से सहमत हुई ।
10.	धारा 3§2§ के बाद नई उपधारा	कि राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली के अन्दर पुनःरावर्तित न होने वाले पोलिएस्टर धातु लेपित पाउचों और "पैट" के निर्माण पर पूर्णतया प्रतिबन्ध लगाना होगा । §श्री राजकुमार चौहान §	समिति संशोधन से सहमत नहीं हुई।
11.	धारा4§1§§1§	वर्तमान खण्ड का निम्नप्रकार प्रतिस्थापनः "जल निकासी एवं सीवर व्यवस्था की उपयुक्त कार्य प्रणाली को अवरुद्ध करना। §श्रीराम संस्थान§	समिति सुझाव से सहमत हुई ।
12.	नई उपधारा 4§1§§111§	"लावारिस पशुओं द्वारा अन्तर्ग्रहण से गंभीर स्वास्थ्य खतरों के उत्पन्न होने की संभावना §निदेशक -पशुपालन विभाग §	समिति सुझाव से सहमत हुई ।
13.	धारा 4§2§	शब्द "रखने या पैक किये जाने की अनुमति को फेंकने या फेंकने की अनुमति शब्दों से स्थानापन्न किया जाए । §श्री राजकुमार चौहान§	समिति संशोधन से सहमत नहीं हुई।

1.	2.	3.	4.
14.	धारा 5‡क‡	"गैर जैव अवक्रमित"शब्द से पूर्व जैव अवक्रमित शब्द का समावेश किया जाए।	क्योंकि विधेयक को प्राथमिक रूप से केवल गैर-जैव अवक्रमित कूड़ाकरकट के प्रबन्धन हेतु बनाया गया था, अतः समिति संशोधन से सहमत नहीं हुई ।
15.	धारा 5‡ख‡	"प्रदान"शब्द के उपरान्त "यथेष्ट संख्या" शब्द का समावेश ।	समिति सहमत हुई।
16.	धारा 5‡ग‡	"प्रदान करने हेतु" शब्द के उपरांत "समय पर और नियमित" शब्द का समावेश ।	क्योंकि प्रावधान स्थानीय निकायों पर कुछ बाध्यताएं निर्धारित करेगा अतः समिति इससे सहमत हुई ।
17.	धारा 5‡घ‡	निम्नानुसार पुनर्लिखित किया जाएः उपरोक्त के संदर्भ में यथेष्ट प्रावधान्न किए जायें ताकि पात्र, कूड़ाघर, कूड़ेदान अधिकृत एवं अनाधिकृत स्थान पर संकट का स्रोत न बनें ।	स्थानीय निकायों पर कुछ उत्तरदायित्व निर्धारित करता है अतः समिति इससे सहमत हुई ।
18.	‡घ‡ के बाद नई उपधारा	"उपरोक्त के संदर्भ में यथेष्ट प्रावधान किये जायें ताकि पात्रों, कूड़ेघर, कूड़ेदान स्थलों तक अवांछित पशुओं की सुगम आवाजाही न हो सके ।" ‡निदेशक-पशुपालन विभाग ‡	समिति सुझाव से सहमत हुई ।
19.	धारा-7		समिति ने धारा 5‡घ‡ में किये गये उपयुक्त संशोधन की दृष्टि से सचिवालय द्वारा प्रस्तावित संशोधन को समाप्त करने का निर्णय किया ।

1.	2.	3.	4.
20.	धारा 8§1§	धारा-3 में उल्लिखित उद्देश्यों के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों हेतु गैर-जैव अवक्रमित थैलियों का विनिर्माण करने वाला कोई भी व्यक्ति सक्षम प्राधिकरण से यथा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करते हुए प्राधिकार प्राप्त करेगा । §श्री राजकुमार चौहान§	समिति सुझाव से सहमत नहीं थी क्योंकि डी·पी·सी·सी· एक सांविधिक एवं सक्षम प्राधिकरण है और अन्य सक्षम प्राधिकरण केवल प्राधिकरणों की बहुलता में वृद्धि करने के बराबर होगा1
21.	धारा 8§1§क)	पुनःरावर्तित प्लास्टिक से निर्मित थैलियाँ और डिब्बे आदि केवल रंगीन होंगे और विनिर्माण में प्रयुक्त रंजक एवं डाइयाँ आई·एस·-9833, 1981 में सूचीबद्ध रंजक एवं डाई के अनुसार होंगी । §श्री राजकुमार चौहान§ कि प्लास्टिक को पुनः प्रसंस्करण या पुनःरावर्तन करना विशुद्ध रूप से प्लास्टिक के पुनरावर्तन हेतु भारतीय मानक आई·एस -14534 ; 1998 के दिशा-निर्देशों के अनुसार है और यह इस प्रकार चिह्नित किया जायेगा । 1· पुनःरावर्तित थैलियाँ 2· खाद्य ले जाने हेतु असुरक्षित 3· पुनःचक्रित सामग्री का प्रतिशत §श्री राम संस्थान§	पर्यावरण विभाग ने सुझाव दिया कि धारा 8§क§ और §ग§ को संयुक्त किया जा सकता है और नई धारा निम्नलिखितानुसार की जा सकती है "कि पुनःरावर्तित थैलियाँ रंगीन होंगी । और विनिर्माण में प्रयुक्त रंजक एवं डाई आई·एस· 9833, 1981 में सूचीबद्ध रंजक एवं डाई के अनुसार होगा। प्लास्टिक के पुनःचक्रण हेतु पुनःसंस्करण या पुनर्चक्रण आई·एस·-14534 : 1998 शीर्षक के मार्गदर्शक [illegible] के अनुसार किया जायेगा और वह इस प्रकार चिह्नित होगा। 1· पुनःरावर्तित थैली 2· खाद्य पदार्थ ले जाने हेतु असुरक्षित 3· विनिर्माता का नाम एवं पता

1.	2.	3.	4.
22.	धारा 8(1) (ख)	कि पुनः प्रसंस्करित या पुनःरावर्तित प्लास्टिक की न्यूनतम मोटाई 20 माइक्रोन होगी या जैसा सरकार समय-समय पर निर्धारित करे । (श्री राज कुमार चौहान)	समिति संशोधन से सहमत नहीं थी क्योंकि समिति का मत था कि जितनी अधिक प्लास्टिक की मोटाई होगी, उतना ही यह महँगा होगा और इस प्रकार क्रेता और विक्रेता दोनों को निरूत्साहित करेगी। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि शुद्ध और पुनःरावर्तित प्लास्टिक दोनों की मोटाई समान रूप से 30 माइक्रोन रखी जाए ।
23.	धारा 10(1) (क)	6 महीने की अवधि की कैद और 5000/-रू. तक का जुर्माना या दोनों के लिए दण्डनीय होगा । (श्री राजकुमार चौहान)	समिति संशोधन से सहमत नहीं थी किन्तु यह महसूस किया गया कि जुर्माना अधिक कठोर है अर्थदण्ड को निम्नलिखितानुसार कम करने का निर्णय लिया गया-कम से कम तीन महीने की कैद किन्तु जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या 2500 रूपये तक का अर्थदण्ड या दोनों सजाओं का भागी होगा जो जमानत योग्य होगा ।
24.	धारा 1(ख)	1.एक महीने कीकैद की सजा और 1000/-रू. का जुर्माना या दोनों सजाओं के लिए दण्डनीय होगा और अभियुक्त जमानत का हकदार होगा। ।।.जुर्माना 1000/-रू. तक बढ़ाया जा सकता है। (श्रीमती किरण चौधरी)	समिति ने महसूस किया कि विधेयक के प्रावधान यथेष्ट हैं और इसलिए किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है ।

1.	2.	3.	5.
25.	धारा 10§2§	अंतिम पंक्ति में परवर्ती शब्द को "प्रथम" शब्द से बदला जाना चाहिए । §श्रीमती किरण चौधरी§	समिति संशोधन से सहमत हुई
26.	धारा 11 §2§§ख§	"निदेशक" का तात्पर्य है फर्म का कोई कार्यरत सहयोगी या प्रबन्धक निदेशक या पूर्ण कालिक निदेशक या कार्यकारी निदेशक जो कम्पनी से वेतन अर्जित करता है ।	समिति संशोधन से सहमत हुई ।
27.	धारा 13	"और यदि अभिरक्षा में हो, को मुक्त करना होगा" शब्दों को हटाया जाए । §श्रीमती किरण चौधरी§	समिति संशोधन से सहमत हुई ।

समिति ने 13 जुलाई, 2000 को सम्पन्न अपनी बैठक में प्रतिवेदन सर्वसम्मति से स्वीकार किया निम्नलिखित संकल्प लिया ।

"कि प्रवर समिति का प्रतिवेदन और प्रवर समिति द्वारा यथा-प्रतिवेदित विधेयक पारित किया जाये ।

विधेयक की एक प्रति प्रतिवेदन के साथ संलग्न है ।

स्थानः दिल्ली

दिनांकः 13 जुलाई, 2000

Kiran Walia

(किरण वालिया)

सभापति